प्रकरण संख्या 3/2023 हिम्मत व अन्य बनाम कजोड़ीमल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा केलवाड़ा, तहसील कुम्भलगढ़ में आराजी नंबर 5052/906 रकबा 0.4968 हैक्टर भूमि स्थित है, जो भंवरलाल जी दर्जी के आधिपत्य की होकर संयुक्त परिवार की आय से भंवरलाल जी ने अपने बड़े पुत्र विपक्षी संख्या 1 माधुलाल के नाम दर्ज रेकार्ड करायी, जबकि भंवरलाल के जीवनकाल से ही भंवरलाल जी के सभी वारिसान के मध्य बराबर–बराबर विभक्त की गयी एवं उसी अनुसार वारिसान काबिज चले आ रहे हैं। भंवरलाल के वारिसान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार होकर प्रत्येक वारिसान का 1/9, 1/9 हिस्सा है, किन्तु भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से उनके द्वारा विपक्षी संख्या 17 को विक्रय कर दी गयी, जो प्रार्थी के मुकाबले अवैध व प्रभाव शून्य है। विपक्षी संख्या 1 को 1/9 हिस्से से अधिक भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था। उक्त अवैध विक्रय पत्र की आड़ में विपक्षी संख्या 17 विवादित भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः ताफैसला मूलवाद विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 22.12.2022 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 व 17 द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड से प्रमाणित है कि विवादित भूमि माधूलाल को आवंटित भूमि होकर उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। उक्त भूमि मिसल संख्या 24/1965 से माधूलाल को आवंटित की गयी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसे पैत्रृक मानकर स्थगन आदेश जारी कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। माधूलाल अर्थात अपीलान्ट संख्या 2 द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 अर्थात प्रतिवादी संख्या 17 के पक्ष में रजिस्टर्ड विलेख किया गया है, जिसे जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार की राहत पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 22.12.2022 अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट का कथन है उक्त भूमि अपीलान्ट संख्या 2 माधूलाल को आवंटित भूमि है, पैतृक भूमि नहीं है। अपीलान्ट संख्या 2 विवादित भूमि का रेकार्डेड खातेदार होने से उसके द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय किया गया है, उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लिया जाता तब तक प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं किया जा सकता, न ही उक्त भूमि के पर किसी प्रकार का सिविल न्यायालय से स्थगन जारी किया हुआ है। हम प्रकरण में यह पाते हैं कि अपीलान्ट संख्या 2 विवादित भूमि का

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested

रेकार्डेड खातेदार होने से उसके द्वारा अपीलान्ट संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय किया गया है। कानूनन रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया न्याय के त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 7/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2022 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का साक्ष्यों के आधार पर विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:10 IST
Reason: SelfAttested